

रोलिंग विज्ञापन संख्या 12-02

Website Ref: RollingAdvtDec2102

परियोजा शीर्षक : “डिवलपमेंट ऑफ माइक्रोबियल सिस्टम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नीयो-ग्लाइकोपेप्टाइड्स/नीयो-ग्लाइकोप्रोटीन्स फॉर यूजफुल एप्लिकेशन्स – फेज II(एनसीपी)”

परियोजना कोड: एमएलपी-0041

पदनाम: परियोजना एसोशिएट-II = 01

अनिवार्य योग्यता: प्राकृतिक अथवा कृषिविज्ञानों में स्नातकोत्तर डिग्री/ एमवीएससी अथवा इंजीनियरिंग अथवा टेक्नॉलोजी अथवा मेडिसिन मेंमान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष

(ii) औद्योगिक अथवा शैक्षिक संस्थानों अथवा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठनों में अनुसंधान एवं विकास तथा वैज्ञानिक कार्यों व सेवाओं में 2 वर्ष का अनुभव

वांछनीय: माइक्रोबेक्टीरियम जैसे संक्रामक एजेंटों और SARS-COV-2 का ज्ञान

अधिकतम आयु सीमा: 35 वर्ष

आयु सीमा – 35 वर्ष

मासिक परिलब्धियाँ: (i) ₹ 35000/- + एचआरए उन स्कॉलर्स के लिए जिनका चयन (क) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षाओं – लेक्चरशिप सहित सीएसआईआर-यूजीसी नेट अथवा गेट अथवा (ख) केन्द्र सरकार के विभागों और उनकी एजेंसियों और संस्थानों के माध्यम से संचालित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के माध्यम से चयन प्रक्रिया के द्वारा हुआ हो

(ii) उपरोक्त (i) के अन्तर्गत न आने वाले उम्मीदवारों के लिए ₹ 28000/- + एचआरए

प्रशासन नियंत्रक

ROLLING ADVT. NO. 12-02

Project titled: “Development of a Microbial System for the production of Neo-Glycopeptides/ Neo-Glycoproteins for useful applications- Phase II (NCP)”

Project Code: MLP-0041.

Position: Project Associate-II = 01

Essential Qualification: (i) Master’s Degree in Natural or Agricultural Sciences/ MVSc or bachelor’s degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognized University or equivalent; and

(ii) 2 years experience in Research and Development in Industrial and Academic Institutions or Science and Technology Organisations and Scientific activities and services.

Upper Age limit (years) - 35

Monthly Emoluments: (i) Rs. 35,000/- p.m. +HRA to Scholars who are selected through a (a) National Eligibility Tests – CSIR-UGC NET including Lectureship or GATE or (b) A selection process through National level examinations conducted by Central Government Departments and their agencies and Institutions.

(ii) Rs. 28,000/- p.m. +HRA for others who do not fall under (i) above

Controller of Administration